बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

राज्य में कृषि बागवानी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए स्थापित कॉर्पस निधि के प्रबंधन हेतु राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति निम्नवत गठित की जाती है :–

(क). कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार – अध्यक्ष।
(ख). प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग – सदस्य।
(ग). प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग – सदस्य।
(घ). प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग – सदस्य।
(ङ). प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग – सदस्य।
(च). प्रधान सचिव/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग – सदस्य सचिव।
(छ). प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम – सदस्य।
(ज). प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड – सदस्य।

राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति के निम्नांकित दायित्व होंगे :–

(i) राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति बाजार मूल्य स्थिरीकरण के लिए अधिसूचित कृषि–बागवानी वस्तुओं की अधिप्राप्ति हेतु राज्य स्तरीय एजेंसियों/केन्द्रीय एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव का मूलयांकन एवं अनुमोदन तथा अग्रिम राषि का अनुमोदन करेगी।

(ii) राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि प्रबंधन समिति आवश्यक कृषि–बागवानी वस्तुओं के थोक एवं खुदरा मूल्यों की समीक्षा तथा अपेक्षित बाजार हस्तक्षेप हेतु दिशा–निर्देश/प्रस्ताव जारी करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करेगी।

(iii) राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण निधि का एक राज्य मूल्य स्थिरीकरण निधि के नाम से कोष होगा जो अलग खाते में संधारित की जाएगी जिसमें केन्द्र एवं राज्य का हिस्सा 50–50 प्रतिशत होगा ।

(iv) बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अधिसूचित कृषि–बागवानी वस्तुओं की अधिप्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया जाता है।

(v) समिति अधिप्राप्ति, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन इत्यादि के मूल्य एवं गुणवत्ता के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल का निर्धारण करेंगी।

(vi) समिति कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा संचालित कार्यो का नियमित अनुश्रवण करेगी।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
3/3/2016
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक – प्र010/विविध–22/15 1600 खाद्य/पटना/दिनांक 03/03/16
प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।
अनुलग्नक :– दो हार्ड प्रति एवं एक सी.डी.

3/3/2016
सरकार के सचिव ।

D:\17-09-15\Documents\letter.doc

ज्ञापांक– प्र010/विविध–22/15 1600 /खाद्य, पटना–15, दिनांक– 03/03/16

प्रतिलिपिः– सरकार के संबंधित सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/2016

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/विविध–22/15 1600 /खाद्य,, पटना–15, दिनांक–03/03/16

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/सचिव कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

3/3/2016

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र010/विविध–22/15 1600 /खाद्य, पटना–15, दिनांक– 03/03/16

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभाग के वेब–साईट पर अपलोड करने एवं सम्बन्धित को ई–मेल करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

3/3/2016

सरकार के सचिव ।

C:\Users\Dell\Downloads\KMS 2015-16 (3).doc